मूलवाद संख्या– ११५/१४

०४.०१.२०१८

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ता को वाद विनदु संख्या ४ पर सुना गया।

निस्तारण वाद विन्दु संख्या–४

उक्त वाद विन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है?

प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता दवारा कथन किया गया कि न्यायालय को उक्त वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। जिसका वादी अधिवक्ता द्रा विरोध किया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा यह वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा हेतु याजित किया गया है और स्थायी निषेधाज्ञा विषय वस्तु को सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं । वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध मे इस न्यायालय को आथिर्क स्थानीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं प्रतिवादी ऐसा कोई भी दलील व साक्ष्य इस स्तर पर पेश नही कर सका जिससे यह साबित हो सके कि न्यायालय को उक्त वाद के श्रवण का क्षेत्रा धिकार प्राप्त नही है।

आदेश

_यह वाद विन्दु संख्या ४ वादी के पक्ष मे व खिलाफ प्रतिवादी निणिर्त किया जाता हैं । पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद विन्दु सं. ५ व ६ दिनांक २५.१.१८ को पेश हो।

सिविल जज,जू०डि०भोगनीपुर,
कानपुर देहात।